कार्यालय वनमंडलाधिकारी, कोंडागांव वनमंडल, कोंडागांव

Tel. / Fax: 07786-242303

जिला–कोंडागांव (छ.ग.)

E-mail: southfedkgn@yahoo.co.in

क्रमांक/मा.चि./4178

कोंडागांव, दिनांक 8-8-24

प्रति,

आवेदनकर्ता,

उपमंडल अभियंता,

दूरसंचार परियोजना

(C-18, BSNL COLONY HAMARDIH) रायपुर छत्तीसगढ

विषयः– *Diversion of Forest land non-Forest Purpose under Forest Conservation Act. 1980 Proposed for Diversion Land For OFC Bharat Sanchar Nigam Limited South Kondagaon Division Provide high speed Connectivity in LWE and will help in implementing the central govt. scheme under digital India program in Chhattisgarh area 2.181 ha. regarding.*

–आनलाईन पंजीयन क्रमांक–FP/CG/OFC/44214/2020.

संदर्भः–

1. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक/एफ–5–23/10–2, दिनांक 05/12/2023.
2. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक/एफ–5–23/10–2, दिनांक 20/03/2023 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध –ए/115–859/1032, दिनांक 23/04/2024 एवं इस कार्यालय के पृ. क्रमांक/मा.चि./1902, दिनांक 02/05/2024, 2498, दिनांक 28/05/2024, 3115, दिनांक 19/06/2024, 3387, दिनांक 02/07/2024 3759, दिनांक 22/07/2024.

संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् कोंडागांव वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु रकबा 2.181 हेक्टेयर के वन भूमि गैर वानिकी कार्य के उपयोग के लिये शासन द्वारा अधिरोपित शर्तो के साथ प्रथम चरण स्वीकृति प्रकरण में भारत सरकार से जारी नवीन दिशा–निर्देश के तहत् छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा दिये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पर अतिरिक्त जानकारी के साथ वैकल्पिक योजना सहित संशोधित पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के निर्देश होने के कारण वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के दिशा निर्देशिका पुस्तिका अनुरूप प्रकरण में राज्य शासन स्तर से जारी सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति में **क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना** संबंधी निम्न बिन्दुओं के आधार पर आरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक 566 में से रकबा 4.362 हेक्टेयर का परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है। बिन्दुओं का विवरण निम्नानुसार है :–

1- As per Consolidated Guidelines and Clarification 2023 issued by MoEF & CC's Order dt. 29.12.2023 compensatory afforestation over the degraded forest land double in extent to the forest land being shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency .

2- The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey , demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited through online e - portal into the CAMPA account in advance with the Forest Department by the project authority .

3- The CA will be maintained for 10 years . The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years ;

क्रमश :..2...

Scanned with ACE Scanner

उपरोक्त बिन्दुओं में चाही गई अतिरिक्त जानकारी को पालन प्रतिवेदन में समाहित करने हेतु भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु रकबा 2.181 हेक्टेयर वन भूमि गैर वानिकी कार्य के उपयोग हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन के बदले में कोंडागांव परिक्षेत्र के वनउसरी में स्थित आरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक 566 में से रकबा 4.362 हेक्टेयर क्षेत्र का 10 वर्षीय सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण परियोजना प्रतिवेदन अनुसार **वित्तिय वर्ष 2024–2025 के प्रचलित दर अनुसार 10 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना (ईको रेस्टोरेशन सहित) राशि 51,02,144/- (रू. इन्कावन लाख दो हजार एक सौ चौवालिस) मात्र को भारत सरकार के वेब साईट पर ई–चालान के माध्यम से कैम्पा खाता में भुगतान आनलाईन कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर के कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर कैम्पा खाता में जमा राशि की सत्यापित पावती की मूल प्रति 06 प्रतियों में इस कार्यालय में जमा करें, ताकि शासन के निर्देशानुसार अतिरेक्त जानकारी को पालन प्रतिवेदन में समाहित करते हुये मय संशोधित पालन प्रतिवेदन सहित परियोजना प्रतिवेदन के साथ वरिष्ट कार्यालय को भेजा जा सकें।**

वनमंडलाधिकारी
कोंडागांव वनमंडल,कोंडागांव

पृ.क्रमांक/मा.चि./4179 **कोंडागांव, दिनांक :** 8-8-24

प्रतिलिपि :

1. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक केपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।
2. **मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।
3. **कलेक्टर, जिला–कोंडागांव (छत्तीसगढ़)** की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
4. **उपवनमंडलाधिकारी, पश्चिम कोंडागांव उपवनमंडल** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।
5. **वन परिक्षेत्र अधिकारी, कोंडागांव परिक्षेत्र** की ओर उनके पत्र क्रमांक/के.जी./1011, दिनांक 23/07/2024 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

वनमंडलाधिकारी
कोंडागांव वनमंडल, कोंडागांव

Scanned with ACE Scanner